



निर्णय सुरक्षित : 13.01.2026

निर्णय प्रदत्त : 05.02.2026

ए.एफ.आर.

Neutral Citation No. : 2026:AHC-LKO:8946-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ पीठ

आपराधिक अपील संख्या-1079 वर्ष 2016

अनिल

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता

:श्री राकेश कुमार नायक, श्री आनन्द दुबे, श्री अरुण कुमार पाण्डेय,
श्री जागृत शर्मा, श्री जय प्रकाश सिंह, सुश्री मधुमिता बोस,
श्री रिशाद मुर्तजा

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

साथ में :

अन्य 4 आपराधिक अपील

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय संख्या – 9

माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

(माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त)

1. श्री आनंद दुबे, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री विजय प्रकाश द्विवेदी, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान आपराधिक अपील, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, अंबेडकर नगर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 179/2008, राज्य बनाम अनिल एवं अन्य में दिनांक 08.09.2015 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता अर्थात् अनिल, नंद लाल, गोवर्धन, गेना, तथा शीला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा 50,000/- रुपये जुर्माने का दंड दिया गया था; जुर्माना न भरने की स्थिति में, उन्हें आगे छह माह का कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त रूप से, भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के अधीन, उन्हें पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये जुर्माने का दंड दिया गया था, और जुर्माना न भरने की स्थिति में, आगे तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा, जिसमें सभी दंड समवर्ती रूप से चलेंगे।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त अनिल की पत्नी, दिवंगता भुइला उर्फ सुशीला, की उसके ससुराल के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हो गई। उसका विवाह उसकी मृत्यु से लगभग दस वर्ष पूर्व (मृत्यु के समय आयु 21 वर्ष) अभियुक्त के साथ हुआ था और उसकी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व, उसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



माता-पिता द्वारा उसका गौना समारोह संपन्न किया गया था। आरोप है कि गौना समारोह के दौरान अपीलकर्ता-अभियुक्त अनिल, नंद लाल तथा गोवर्धन ने हीरो होंडा मोटरसाइकिल की मांग की थी और समारोह संपन्न करने से इनकार कर दिया था परंतु सूचनादाता राम राजभर, दिवंगता के पिता ने अभियुक्तों से अनुरोध किया और किसी प्रकार विदाई समारोह संपन्न हुआ। जब दिवंगता अपने मायके आती थी, तो उसने अपने माता-पिता को उसके साथ किए जा रहे क्रूरता एवं दहेज की मांग के बारे में सूचित किया था परंतु उसके माता-पिता उसे सांत्वना देकर उसे वापस उसके ससुराल भेज देते थे। दिनांक 11.06.2008 को, सूचनादाता को टेलीफोन द्वारा यह सूचित किया गया कि उसकी पुत्री को अभियुक्त व्यक्तियों अनिल-दिवंगता का पति, नंद लाल-दिवंगता का देवर, गोवर्धन-दिवंगता का देवर, गेना-दिवंगता की सास तथा शीला-दिवंगता की ननद ने उसका गला घोटकर मार डाला है। जब सूचनादाता तथा उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, तो दिवंगता का शव चारपाई पर पड़ा था। दिवंगता का पंचनामा दिनांक 11.06.2008 को प्रातः 10:30 बजे किया गया और यह दोपहर 12:30 बजे समाप्त हुआ। पंचनामा के अनुसार, दिवंगता की गर्दन पर एक चिह्न के अतिरिक्त कोई चोट का चिह्न नहीं देखा गया। पंचों की राय के अनुसार, दिवंगता को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग हेतु मार डाला गया था। दिवंगता का शव-परीक्षण दिनांक 11.06.2008 को लगभग शाम 4:00 बजे किया गया था। शव-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक परीक्षण में बाईं आंख के किनारे एक लाल नीलाघात (कन्ट्र्यूजन) का चिह्न देखा गया तथा दिवंगता की गर्दन पर एक शव-परीक्षणोत्तर क्षैतिज बंधन-चिह्न (लिगेचर मार्क) देखा गया परंतु थायरॉइड हड्डी तथा श्वासनली अक्षत पाई गई। मृत्यु के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी गई और विसरा सुरक्षित रखा गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. विवेचक (इसके पश्चात आई.ओ. कहा गया) द्वारा एकत्रित साक्ष्य तथा सूचनादाता की शिकायत के आधार पर धारा 498ए/304बी भारतीय दंड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन एक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दिनांक 01.10.2008 को, विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 302/201 के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित करने हेतु कार्यवाही की। विचारण के चरण में, अभियोजन ने अपने मामले को सिद्ध करने हेतु छह साक्षी प्रस्तुत किए अर्थात् अभियोजन साक्षी 1-श्री राम राजभर (दिवंगता के पिता), अभियोजन साक्षी 2-सुमित्रा (दिवंगता की माता), अभियोजन साक्षी 3 कृष्ण कुमार सिंह, अभियोजन साक्षी 4 राम कृष्ण मागन, अभियोजन साक्षी 5 डॉ. विजय तिवारी, तथा अभियोजन साक्षी 6- सी.एम. वीरेंद्र कुमार गौतम। बचाव पक्ष ने एक साक्षी अर्थात् बचाव साक्षी 1 चैतुराम प्रस्तुत किया।
5. अभियोजन साक्षी 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने दहेज के रूप में मोटरसाइकिल न मिलने के बहाने दिवंगता को मार डाला परंतु अपनी प्रति-परीक्षा में, उसने यह कथन किया कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी और आगे यह भी कथन किया कि उसे यह याद नहीं है कि नंद लाल दिवंगता की मृत्यु के बारे में सूचना देने हेतु उसके घर आया था। उसने आगे यह भी कथन किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां थाना संमनपुर, अकबरपुर की पुलिस तथा अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित थे।
6. अभियोजन साक्षी 2 ने बयान दिया कि मोटरसाइकिल की मांग हेतु उसकी पुत्री को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मार डाला गया था। जब वह घटनास्थल पर पहुंची, तो उसने चारपाई के नीचे उल्टी देखी, जिसे साफ नहीं किया गया था, तथा दिवंगता का शव मल से सना हुआ था। अपनी प्रति-परीक्षा में उसने यह तथ्य स्वीकार किया कि नंद लाल के पास एक मोटरसाइकिल है तथा विवाह के समय कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. अभियोजन साक्षी-3 ने कथन किया कि दिवंगता का पंचनामा उसकी उपस्थिति में बनाया गया था। अपनी प्रति-परीक्षा में उसने कथन किया कि दिवंगता की गर्दन पर एक चोट के चिह्न के अतिरिक्त उसके द्वारा कोई अन्य चोट नहीं देखी गई।
8. अभियोजन साक्षी-4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष कथन किया कि दिवंगता की मृत्यु का कारण अवैध संबंध था और उसका विवाह लगभग 10-15 वर्षों से हुआ था, इस प्रकार, उसने आरोपों को धारा-302/201 भारतीय दंड संहिता में संशोधित किया। अपनी प्रति-परीक्षा में उसने कथन किया कि उसे इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि अभियुक्त व्यक्ति दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। उसने आगे कहा कि दिवंगता का उसके मायके में किसी के साथ अवैध संबंध था और यह तथ्य दिवंगता के परिवार के सदस्यों द्वारा बताया गया था। उसने आगे कथन किया कि सूचनादाता ने इस आशय का कोई बयान नहीं दिया है कि दिवंगता को उसकी मृत्यु से पूर्व अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पीटा गया था।
9. डॉ. विजय तिवारी की विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी-5 के रूप में परीक्षा की गई, उन्होंने कथन किया कि गर्दन के चारों ओर 25 x 1 सेंटीमीटर का एक बंधन-चिह्न पाया गया। दिवंगता की बाईं आंख पर भी एक नीलाघात का चिह्न पाया गया। उन्होंने आगे कथन किया कि हायॉइड हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई थी तथा गर्दन पर चोट शव-परीक्षणोत्तर थी, इस प्रकार मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका और विसरा सुरक्षित रखा गया। अपनी प्रति-परीक्षा में, उन्होंने कथन किया कि बाईं आंख पर नीलाघात भौंह के पास था और यह किसी कठोर वस्तु पर गिरने से हो सकता है। उन्होंने आगे कथन किया कि मृत्यु किसी चोट के कारण नहीं हुई थी तथा गर्दन पर चिह्न गला घोंटे बिना नहीं आ सकते थे। कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार गौतम की विचारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी-6 के रूप में परीक्षा की गई और उन्होंने चिक एफ.आई.आर. को सिद्ध किया।

10. अभियोजन साक्षियों की गवाही के समापन के पश्चात, अभियुक्त व्यक्तियों के कथन धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित किए गए। सभी अभियुक्तों से पूछा गया मुख्य प्रश्न यह था कि क्या, 11 जून, 2008 को, लगभग प्रातः 06:00 बजे, उन्होंने दिवंगता का रस्सी से गला घोंटा, जिससे उसकी मृत्यु हुई, और बाद में शव को छिपाने का प्रयास किया।
11. बचाव पक्ष ने चैतु राम को बचाव साक्षी-1 के रूप में प्रस्तुत किया। उसने विचारण न्यायालय के समक्ष कथन किया कि घटना सात वर्ष पूर्व जून महीने में घटित हुई थी। उसने गवाही दी कि अनिल कुमार तथा गेना उसके घर के सामने रहते हैं तथा दिवंगता की मृत्यु के समय, वे पुदीने की निराई हेतु खेतों में गए हुए थे। उसने आगे कथन किया कि अपीलकर्ता नंद लाल पिछले बीस वर्षों से मछली गांव में रह रहा है तथा अपीलकर्ता गोवर्धन आठ वर्षों से कुरी में अपने परिवार के साथ रह रहा है; नंद लाल तथा गोवर्धन दोनों कई वर्षों से अपीलकर्ता अनिल तथा गेना से अलग रहते रहे हैं।
12. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, जिसमें कथित विषाक्तता को इंगित करने वाला चिकित्सीय साक्ष्य तथा दिवंगता की गर्दन पर बंधन-चिह्न की उपस्थिति शामिल है, धारा 302/34 तथा 201/34 के अधीन दोषसिद्ध करने हेतु कार्यवाही की। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारों के कथन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दहेज की मांग के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया और तदनुसार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन कोई आरोप विरचित नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षी-1 तथा अभियोजन साक्षी-2 ने अभियोजन के मामले को गंभीरता प्रदान करने हेतु दहेज की मांग के बारे में झूठ बोला है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के उद्देश्य (मोटिव) को सिद्ध करने में विफल रहा है। इस कथन के समर्थन में, अधिवक्ता ने **उड़ीसा राज्य बनाम बाबाजी चरण मोहंती एवं अन्य (2003) 10 SCC 57** के निर्णय का संदर्भ दिया।
14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्षी 1 ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया कि अपीलकर्ता नंद लाल अभियोजन साक्षी 1 के घर दिवंगता की मृत्यु के बारे में सूचित करने हेतु गया था जिससे अपीलकर्ताओं के आचरण को संदिग्ध दिखाया जा सके। जबकि अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा शव छिपाने के संबंध में भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को गलत रूप से लागू किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, **नागेंद्र शाह बनाम बिहार राज्य (2021) 10 SCC 725** में, यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों में लागू होती है, जहां अभियोजन उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल हो गया है जिनसे अभियुक्त के अनन्य ज्ञान में निहित कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक युक्तियुक्त अनुमान निकाला जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि किसी अभियुक्त को केवल शव-परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस संबंध में,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **अनिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 SCC OnLine All 812** के निर्णय का भी उद्धरण दिया।

16. आगे यह भी तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिवंगता को विष दिए जाने के संबंध में, न ही उसकी गर्दन पर बंधन-चिह्न के संबंध में कोई प्रश्न पूछा। एक बार जब ऐसे प्रश्न अपीलकर्ताओं से नहीं पूछे जाते, तो उनसे मामले के ऐसे तथ्यों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अथवा बचाव प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित मामलों का उद्धरण दिया: **इंदिरा कुंवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2023 SCC OnLine SC 1364**; **नबाबुद्दीन उर्फ मल्लू उर्फ अभिमन्यु बनाम हरियाणा राज्य, 2023 SCC OnLine SC 1534**; **सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य, (2013) 12 SCC 406**; तथा **महेश्वर टिग्गा बनाम झारखंड राज्य, (2020) 10 SCC 108**।

17. आगे यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता नंद लाल, गोवर्धन तथा शीला को दोषसिद्ध किया, इस तथ्य के बावजूद कि वे दिवंगता से अलग रहते थे।

18. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय एक तर्कसंगत निर्णय है तथा अपीलकर्ताओं को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अनुपालन में अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की परीक्षा के दौरान सभी अभियोगात्मक सामग्री उनके समक्ष रखी गई थी।

विश्लेषण

19. हमने कथनों पर विचार किया है। अपील के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि, अन्य आधारों के बीच, मुख्य तर्क दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के गैर-अनुपालन पर टिका है। इस स्तर पर, अपीलकर्ताओं की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दोषसिद्धि एवं दंड पर गुणावगुण से विचार करना उचित नहीं होगा। हमारे विचार हेतु जो एकमात्र प्रश्न आता है वह यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने विचारण प्रक्रिया के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अनुपालन में त्रुटि की है।

20. निष्पक्ष विचारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन एक गारंटी है। निष्पक्ष विचारण की एक अपरिवर्तनीय आवश्यकता यह है कि अभियुक्त को सुने जाने तथा अपनी निर्दोषिता को स्वयं तथा अपने स्वयं के शब्दों में, उसके विरुद्ध उठाए गए अभियोजन के दावों को दूर करते हुए, सिद्ध करने का अवसर दिया जाए।
21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के गैर-अनुपालन के संदर्भ में, विधि स्पष्ट है; इस मुद्दे पर विचार करने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला है, अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों के अतिरिक्त। फिर भी, पूर्णता हेतु हम कुछ निर्णयों का संदर्भ ले सकते हैं।
22. **सनातन नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 8 SCC 249** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षा के दायरे के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"21. धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तर सत्य का पता लगाने तथा अभियोजन के मामले की सत्यता की जांच करने हेतु प्रासंगिक हैं। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता का दायरा विस्तृत है और यह मात्र एक औपचारिकता नहीं है। ... 22. जैसा कि पहले ही देखा किया जा चुका है, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने का उद्देश्य अभियुक्त के समक्ष सभी अभियोगात्मक साक्ष्य रखना है जिससे उसे अभियोजन के साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रकट होने वाली ऐसी अभियोगात्मक परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर दिया जा सके। साथ ही, उसे, यदि वह चाहे तो, अपराध में उसकी संलिप्तता या अन्यथा के संबंध

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में अपना स्वयं का संस्करण या कारण आगे प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी जाए। न्यायालय को अभियुक्त की परीक्षा करने हेतु सशक्त किया गया है परंतु केवल अभियोजन के साक्ष्य के समापन के पश्चात ही। यह न्यायालय पर एक अनिवार्य दायित्व है और, इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि अभियुक्त को अपने आचरण को स्पष्ट करने का एक निष्पक्ष अवसर मिले। यह विकल्प अभियुक्त के पास है कि वह सीधे-सीधे खंडन के साथ मौन बनाए रखे या, वैकल्पिक रूप से, अपराध करने में अपनी कथित संलिप्तता के संबंध में अपना संस्करण एवं कारण स्पष्ट करे। यह वह कथन है जो अभियुक्त बिना किसी भय अथवा दूसरे पक्ष को उसकी प्रति-परीक्षा करने के अधिकार के बिना देता है। तथापि, यदि दिए गए कथन झूठे हैं, तो न्यायालय प्रतिकूल अनुमान निकालने तथा विधि के अनुसार आवश्यक परिणामी आदेश पारित करने का हकदार है। प्राथमिक उद्देश्य न्यायालय एवं अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा अभियुक्त के समक्ष प्रत्येक महत्वपूर्ण अभियोगात्मक साक्ष्य को रखना तथा उसे उत्तर देने एवं स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना है। ... "

23. राज कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2023) 17 SCC 95 में, जिसे कि बाद में एक तीन-न्यायाधीशीय पीठ द्वारा एजाज अहमद शेख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 SCC OnLine SC 913 में अनुमोदित किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारक प्रतिपादित किए:

"22. इस न्यायालय द्वारा सतत रूप से प्रतिपादित विधि को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



22.1. यह विचारण न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को विशेष रूप से, अलग-अलग एवं पृथक रूप से रखे। महत्वपूर्ण परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन उसकी दोषसिद्धि चाहता है।

22.2. धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है।

22.3. न्यायालय को साधारणतः उस विशेष अभियुक्त के मामले से निपटते समय अभियुक्त के समक्ष न रखी गई महत्वपूर्ण परिस्थितियों को विचार से बाहर रखना चाहिए।

22.4. अभियुक्त के समक्ष महत्वपूर्ण परिस्थितियों को न रखना एक गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। यह विचारण को दूषित करेगा यदि यह दर्शाया जाता है कि इससे अभियुक्त को प्रतिकूल प्रभाव हुआ है।

22.5. यदि अभियुक्त के समक्ष महत्वपूर्ण परिस्थिति रखने में कोई अनियमितता न्याय की विफलता का परिणाम नहीं देती है, तो यह एक उपचार्य दोष बन जाता है। तथापि, यह निर्णय करते समय कि क्या दोष को उपचारित किया जा सकता है, घटना की तारीख से समय का बीतना एक विचार होगा।

22.6. यदि ऐसी अनियमितता उपचार्य है, तो अपीलीय न्यायालय भी उस महत्वपूर्ण परिस्थिति पर अभियुक्त से प्रश्न पूछ सकता है जो उसके समक्ष नहीं रखी गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22.7. किसी दिए गए मामले में, मामले को संबंधित अभियुक्त के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पूरक कथन अभिलिखित करने के चरण से विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

22.8. यह निर्णय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त को प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, तर्क उठाने में विलंब केवल विचार किए जाने वाले कई कारकों में से एक है।"

24. **सोवरण सिंह प्रजापति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 SCC OnLine SC 351** के नए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने **जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य 2006 3 SCC 374** के मामले में प्रतिपादित विधि का सार प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित प्रतिपादित किया

"30.1 उपर्युक्त निर्णयों के अवलोकन एवं विचार से धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित सिद्धांत प्रकट होते हैं:

(क) यह धारा दो भागों में विभाजित है, पहला 'हो सकता है' (may) शब्द के प्रयोग के साथ निर्देशात्मक है और दूसरा 'होगा' (shall) शब्द के प्रयोग के साथ अनिवार्य है।

(ख) न्यायालय की शक्ति यथासंभव सबसे व्यापक शब्दों में निहित है, जिस पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है।

(ग) ऐसी शक्ति का प्रयोग न केवल न्यायालय का विशेषाधिकार है बल्कि न्याय के हित में, किसी ऐसे साक्षी के संबंध में, जिसे पूर्णतः आवश्यक माना जा सकता है, न्यायालय का कर्तव्य भी है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(घ) इस शक्ति का उपयोग अभियोजन एवं बचाव दोनों के लाभ हेतु किया जाना है। किसी साक्षी को केवल इसलिए तलब करना क्योंकि यह एक पक्षकार के मामले की सेवा करता है न कि दूसरे की, अनुचित होगा।

(ङ) यह शक्ति कार्यवाहियों के किसी भी चरण पर अर्थात् जांच, विचारण अथवा किसी अन्य चरण पर प्रयोग की जा सकती है।

(च) शक्ति का प्रयोग न्यायोचित रूप से किया जाना है क्योंकि शक्ति जितनी व्यापक है, न्यायिक मन के प्रयोग की आवश्यकता उतनी ही अधिक है।

(छ) यदि इस शक्ति के अधीन बुलाया गया एक तथाकथित साक्षी, परिवादी के विरुद्ध साक्ष्य देता है, तो बाद वाले को प्रति-परीक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। यह शक्ति धारा 311 के अधीन नहीं बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन उत्पन्न होती है।

(ज) किसी साक्षी को इस शक्ति के प्रयोग से केवल अभियोजन के मामले में किसी कमी को भरने हेतु पुनः बुलाया नहीं जा सकता।"

25. धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (दूसरे पक्ष को सुनना) के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। अभियुक्त के समक्ष न रखी गई कोई भी परिस्थिति उसके विरुद्ध उपयोग नहीं की जा सकती।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के समक्ष महत्वपूर्ण अभियोगात्मक परिस्थितियों को न रखना एक गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है तथा प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है, विशेषकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में।

27. उपर्युक्त विधि एवं सिद्धांतों की स्थिति पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात, अभिलेख की सावधानीपूर्वक जांच पर, अब हम धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित अपीलकर्ताओं के कथनों की जांच कर सकते हैं। अभियुक्त व्यक्तियों के धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन निम्नानुसार हैं:

अपीलकर्ता संख्या 1

नाम-अनिल कुमार आयु-26 वर्ष पिता का नाम-स्वर्गीय भगीरथी

1. प्रश्न-अभियोजन कथन के अनुसार, दिनांक 11.06.2008 को लगभग प्रातः 6:00 बजे ग्राम टांडवा गोपालपुर, थाना संमनपुर, जिला अंबेडकर नगर में, आपने, अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, परिवादी की पुत्री, भुइला उर्फ सुशीला, जो अभियुक्त अनिल से विवाहित थी, की रस्सी से गला घोटकर हत्या की, और हत्या करने के बाद, साक्ष्य नष्ट करने के आशय से दिवंगता के शव को छिपाया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर-यह झूठ है।

2. प्रश्न-आपने अभियोजन साक्षी 1 श्रीराम राजभर का बयान सुना है, जिसने परिवाद प्रदर्शक-1 तथा पंचायतनामा प्रदर्शक-2 पर अपने हस्ताक्षर को सिद्ध किया है। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर-उसने झूठी गवाही दी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रश्न-क्या आपने साक्षी अभियोजन साक्षी-2 सुमित्रा का बयान सुना है? इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर-उसने शत्रुता के कारण झूठी गवाही दी है।

4. प्रश्न-क्या आपने साक्षी अभियोजन साक्षी-3 कृष्ण कुमार सिंह, नायब तहसीलदार का बयान सुना है, जिसने पुलिस दस्तावेज प्रदर्श क-3 से प्रदर्श क-6 को सिद्ध किया है?

उत्तर-वह एक औपचारिक साक्षी है। उसने झूठी गवाही दी है।

5. प्रश्न-क्या आपने साक्षी अभियोजन साक्षी-4 राम कृष्ण मागन का बयान सुना है, जिसने नक्शा नज़री प्रदर्श क-7 तथा आरोप पत्र प्रदर्श क-8 को सिद्ध किया है?

उत्तर-वह एक औपचारिक साक्षी है। उसने झूठी गवाही दी है।

6. प्रश्न-क्या आपने साक्षी अभियोजन साक्षी 5 डॉ. विजय तिवारी का बयान सुना है, जिसने दिवंगता सुशीला उर्फ भुइला का शव-परीक्षण किया, जिसकी शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-9 के रूप में सिद्ध की गई है? इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर-मुझे पता नहीं।

7. प्रश्न-क्या आपने साक्षी अभियोजन साक्षी 6 कांस्टेबल संख्या 582 वीरेंद्र कुमार का बयान सुना है, जिसने चिक जी.डी. रिपोर्ट संख्या 10, जो कांस्टेबल जमुना प्रसाद की हस्तलिपि में है तथा उनके हस्ताक्षर में है, की कार्बन प्रति को प्रदर्श क-11 के रूप में प्रमाणित किया है? इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर-मुझे पता नहीं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. प्रश्न-क्या आपने साक्षी अभियोजन साक्षी 6 इंस्पेक्टर राम कुमार चौधरी का बयान सुना है, जिसने आरोप पत्र प्रदर्शक-6 तथा घटना की स्थल योजना प्रदर्शक-7 को सिद्ध किया है? इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर-वह एक औपचारिक साक्षी है। उसने झूठा बयान दिया है।

9. प्रश्न-उपरोक्त साक्षियों ने अपनी गवाही क्यों दी? इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर-शत्रुता के कारण।

10. प्रश्न-यह मामला आपके विरुद्ध क्यों दाखिल किया गया?

उत्तर-शत्रुता के कारण।

11. प्रश्न-क्या आप कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं?

उत्तर-हां।

12. प्रश्न-क्या अपने बचाव में आपको कुछ और कहना है?

उत्तर-दिवंगता का उसके गांव में किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण वह अपने माता-पिता के घर रहना चाहती थी। इससे पहले भी, उसने अपने गौना समारोह से पहले अपने माता-पिता के घर विष का सेवन किया था। परिवादीगण ने उसे जबरन अपीलकर्ता के साथ भेजा, और इससे व्यथित होकर, उसने आत्महत्या कर ली। परिवादीगण ने पट्टीदार के दबाव में मुझे झूठा फंसाया है।

28. अपीलकर्ता संख्या 2 नंदलाल, अपीलकर्ता संख्या 3 गोवर्धन, अपीलकर्ता संख्या 4 गेना देवी तथा अपीलकर्ता संख्या 5 शीला से अपीलकर्ता संख्या 1 अनिल के समान ही प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर प्रश्न 12 को छोड़कर समान हैं, जिसका उत्तर अपीलकर्ताओं द्वारा निम्नानुसार दिया गया है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपीलकर्ता संख्या 2

नाम-नंदलाल आयु - 38 वर्ष पिता का नाम - स्वर्गीय भगीरथी

12. प्रश्न - क्या अपने बचाव में आपको कुछ और कहना है?

उत्तर - मैं 1994 से अपनी पत्नी के साथ संमनपुर बाजार में अपने बनाए गए मकान में रह रहा हूँ।

जब मैं घटना की सूचना मिलने के बाद परिवादी के घर गया, तो मुझे पीटा गया। मेरी मोटरसाइकिल छीन ली गई। मुझे झूठा फंसाया गया है क्योंकि मैं दिवंगता का देवर हूँ।

अपीलकर्ता संख्या 3

नाम - गोवर्धन आयु - 45 वर्ष पिता का नाम - स्वर्गीय भगीरथी

12. प्रश्न - क्या अपने बचाव में आपको कुछ और कहना है?

उत्तर - मैं घटना से पूर्व 8 वर्षों से अपने माता-पिता से अलग अपने स्वयं के मकान में रह रहा था। घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। केवल इसलिए मुझे झूठा फंसाया गया क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई था।

अपीलकर्ता संख्या 4

नाम - गेना देवी आयु - 70 वर्ष पति का नाम - स्वर्गीय भगीरथी

12. प्रश्न - क्या अपने बचाव में आपको कुछ और कहना है?

उत्तर - मेरे दोनों बड़े पुत्र अलग रहते थे। मैं दिवंगता के साथ रहती थी। दिवंगता ने स्वयं आत्महत्या की। मैंने अपने पुत्र नंदलाल के माध्यम से उसके माता-पिता के घर सूचना भेजी। सूचना प्राप्त होने पर, उसके परिवार के सदस्य हमारे घर आए और हमारे रिश्तेदारों के उकसावे में, मुझे झूठा फंसाया क्योंकि मैं उसकी सास थी।

अपीलकर्ता संख्या 5

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नाम - शीला, आयु - 43 वर्ष, पति का नाम - गोवर्धन

12. प्रश्न-क्या अपने बचाव में आपको कुछ और कहना है?

उत्तर - मैं घटना से पूर्व 8 वर्षों से अपने ससुराल वालों से अलग रह रही हूँ। मुझे झूठा फंसाया गया है क्योंकि मैं ननद हूँ।

29. ऊपर उद्धृत कथनों से यह प्रकट होता है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों से सामान्य प्रश्न पूछे गए तथा सभी अपीलकर्ताओं ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रखे गए प्रश्नों में उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का एक सर्वसामान्य खंडन किया है। प्रश्न संख्या 12, जहां सभी अपीलकर्ताओं से अपने बचाव में कुछ भी कहने के लिए कहा गया था, सभी ने अपने-अपने कथन दिए हैं। तथापि, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि हेतु अभियोजन द्वारा अपनाए गए आधारों के संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 12 के संदर्भ में सभी अपीलकर्ताओं से उन आधारों के विरुद्ध कोई बचाव कथन देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जिनसे वे अनभिज्ञ हैं।

30. अतः, यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय अभियुक्त के समक्ष विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अभियोगात्मक परिस्थितियों को रखने में विफल रहा, विशेष रूप से:

- i. दिवंगता को विषय दिए जाने से संबंधित आरोप; तथा
- ii. दिवंगता की गर्दन पर बंधन-चिह्न के शव-परीक्षण निष्कर्ष

31. ये परिस्थितियां अभियोजन के मामले की आधारशिला बनाती हैं। एक बार जब अभियोजन ने मानववध स्थापित करने हेतु इन पर भरोसा किया, तो विचारण न्यायालय के लिए यह अनिवार्य था कि वह धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उनके कथन अभिलिखित करते समय अभियुक्त को इनसे अवगत कराए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



32. वर्तमान मामले में, इस चूक के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि अभिलिखित करने हेतु उक्त परिस्थितियों पर भरोसा किया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को प्रतिकूल प्रभाव हुआ है।
33. यद्यपि अभियोजन ने इस आधार पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर भरोसा करने का प्रयास किया कि घटना घर के भीतर घटित हुई, ऐसा भार अभियुक्त पर केवल अभियोजन द्वारा अपना प्राथमिक भार वहन किए जाने तथा अभियोगात्मक परिस्थितियों को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त के समक्ष उचित रूप से रखे जाने के पश्चात ही उत्पन्न हो सकता है।
34. दोष की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि यह उपचार्य है और मामले को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करके न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे।
35. तदनुसार, अपीलें यहां इंगित सीमित सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.09.2015 का निर्णय एवं आदेश अपास्त किए जाते हैं।
36. मामले को निम्नलिखित निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को वापस प्रतिप्रेषित किया जाता है:
- विचारण न्यायालय धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्तों के नए कथन अभिलिखित करेगा, विशेष रूप से साक्ष्य में प्रकट होने वाली सभी अभियोगात्मक परिस्थितियों को रखते हुए, जिसमें कथित विषाक्तता तथा शव-परीक्षात्मक बंधन-चिह्न से संबंधित परिस्थितियां शामिल हैं।
 - अभियुक्तों को, यदि वे चाहें, बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
 - तत्पश्चात, विचारण न्यायालय पूर्व निर्णय से अप्रभावित रहते हुए, मामले का विधि के अनुसार नया निर्णय करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



37. अपीलों के लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए, हम संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह कार्यवाही को शीघ्रता से करे तथा इस निर्णय के संसूचन की तारीख से तीन माह के भीतर आवश्यक कार्य करे। अपीलकर्तागण अर्थात् अनिल-वर्तमान अपीलकर्ता, नंद लाल-आपराधिक अपील संख्या 1388/2015 में अपीलकर्ता, गोवर्धन-आपराधिक अपील संख्या 1384/2015 में अपीलकर्ता, गेना-आपराधिक अपील संख्या 439/2016 में अपीलकर्ता तथा श्रीमती शीला-आपराधिक अपील संख्या 1121/2015 में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए जब तक कि उन्हें किसी अन्य मामले के संबंध में निरुद्ध रखा जाना आवश्यक न हो और वे विचारण न्यायालय द्वारा नियत तारीख पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे तथा कार्यवाही में भाग लेंगे, जिसमें विफल रहने पर विचारण न्यायालय उनकी जमानत रद्द करने तथा उन्हें अभिरक्षा में लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

दिनांक : 05 फ़रवरी, 2026

हसीन यू.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”